



देवेन्द्र कुमार

गाजियाबाद जिले में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों में अपव्यय की समस्याओं का अध्ययन

सहायक प्रोफेसर- आईटीआई0 कॉलेज, मोदीनगर, गाजियाबाद (उ0प्र0), भारत

Received-24.09.2023, Revised-27.09.2023, Accepted-30.09.2023 E-mail: devendrakumarnimesh@gmail.com

सारांश: शिक्षा व्यक्ति तथा राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। व्यक्ति में तर्क, चिंतन क्रियान्वयन शिक्षा का ही फल है। शिक्षा बालक में निहित समस्त शक्तियों को प्रकाशित करती है। जिसका प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा से होता है। प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा की पहली सीढ़ी है जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है। व्यक्ति जीवन के साथ जितना घनिष्ठ संबंध प्राथमिक शिक्षा का है उतना माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा का नहीं है क्योंकि बालक के जीवन में शिक्षा की नींव प्राथमिक शिक्षा से ही पड़ती है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना तथा कराना व्यक्ति तथा राष्ट्र के व्यक्तिगत तथा संवैधानिक दायित्वों में आता है।

कुंजीभूत शब्द— शिक्षा, प्रगति, आधार, तर्क, चिंतन, क्रियान्वयन शिक्षा, शक्तियों, प्रकाशित, प्राथमिक शिक्षा।

भारतीय संविधान के में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। परंतु निःशुल्क शिक्षा के बावजूद ग्रामीण विद्यालयों में शहरी विद्यालयों की तुलना में अधिक अपव्यय और अवरोधन की समस्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। प्रशासनिक स्तर पर अपव्यय और अवरोधन दोनों ही गंभीर समस्या हैं क्योंकि इससे राष्ट्र द्वारा लगाई जा रही पूँजी व्यर्थ हो जाती है। शिक्षा अति प्राचीनकाल से मानव के सर्वांगीण विकास का एकमात्र स्रोत रही है। चूंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहकर ही जीवन व्यतीत करना होता है इसलिए उसे समाज के साथ अनुकूलन स्थापित करने की शिक्षा दी जाती है और शिक्षा के माध्यम से वह स्वयं को ऐसा बना लेता है कि समाज में रहकर सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर सके।

प्राचीनकाल से अब तक शिक्षा ने मानव को ज्ञान विज्ञान की अपार संपदा दी है जिसके फलस्वरूप भविष्य में भी उससे मानवता का मार्ग निरंतर प्रशस्त होता रहा है। शिक्षा ही मनुष्य को विवेकशील और ज्ञान संपन्न बनाती है तभी तो वह अन्य प्राणियों से उद्भूत व श्रेष्ठ माना जाता है। शिक्षा ही बालक में निहित समस्त शक्तियों को प्रकाशित करती है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा किसी भी परिवार, समाज, राज्य व देश की प्रगति की महत्वपूर्ण नींव है। जब बालक का जन्म होता है तो वह असहाय अवस्था में होता है। उसका पालन पोषण तो परिवार में माता-पिता के संरक्षण में होता है किंतु उसकी शैबुद्धिक चेतना का दीप शिक्षा के द्वारा प्रज्वलित होता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक की शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। प्लेटो की मान्यता थी कि 12 आदर्श राष्ट्र निर्माण का उपयुक्त साधन शिक्षा है। यहाँ तक कि शमार्शलर जैसे अर्थशास्त्री ने भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा को प्रधानता दी है। शिक्षा मनुष्य के विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य को प्रति ने स्वतंत्रता प्रदान की है जिसके कारण मनुष्य को प्रति के बंधनों और मर्यादाओं पर अतिक्रमण करने की छूट मिलती है। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कला-कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सम्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। नवजात शिशु असहाय अवस्था में जन्म लेता है। शिशु बोलना, चलना-फिरना कुछ नहीं जानता। सांसारिक भेदभाव से रहित कोमल शिशु का कोई शत्रु अथवा मित्र नहीं होता है। सामाजिक परंपराओं, समस्याओं, रस्मों का ज्ञान उसको नहीं होता और न ही किसी आदर्श अथवा नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने की जिज्ञासा पाई जाती है। शिशु की आयु बढ़ने के साथ-साथ उसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन आते-जाते हैं तथा इसके साथ ही उसमें सामाजिक भावना भी विकसित होती जाती है।

स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास में यकीनन तेजी से वृद्धि हुई है। सन् 1960-61 के बाद प्राथमिक शिक्षा का विस्तार तेजी से हुआ है और उसमें लगभग 3 करोड़ बच्चे प्रति दशक बढ़ते गए और वर्तमान में भी इसी गति से बढ़ रहे हैं। परंतु चौंकाने वाला तथ्य यह है कि गत वर्ष (2010-11) में भी 6-14 आयु वर्ग के लगभग 5 करोड़ बच्चे प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं से बाहर थे। इनमें से लगभग 3 करोड़ बच्चे ऐसे थे, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा बीच में ही छोड़ दी और लगभग 2 करोड़ बच्चे ऐसे थे, जिन्होंने प्राथमिक स्कूलों में नामांकन ही नहीं कराया था।

सन् 1987-88 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के जो भवन बनाए गए हैं, वे 10 वर्ष भी नहीं चलेगे, जो फर्नीचर उपलब्ध कराया जा रहा है, वह विद्यालयों तक पहुँचते-पहुँचते टूट रहा है और जो शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है वह बहुत ही घटिया किस्म की है। इन सबसे प्राथमिक विद्यालयों की दशा में कोई सुधार नहीं हो रहा है और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इस कार्य के लिए जो धनराशि (40-40 हजार रुपए) दी जा रही है उसका सदुपयोग भी सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ-प्राथमिक शब्द का सामान्य अर्थ है-प्रारंभिक, मुख्य। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ हुआ-प्रारंभिक शिक्षा, मुख्य शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा इसलिए कि यह बच्चों को प्रारंभ में दी जाती है और मुख्य शिक्षा इसलिए कि यह अग्रिम शिक्षा की नींव होती है। विश्व के विभिन्न देशों में आवश्यकता और सुविधा के अनुसार इसकी अवधि अलग-अलग है। हमारे देश में वर्तमान में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक तथा कक्षा 6 से 8 तक को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहा गया है और आज पूरे देश के लिए इस प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य और एक आधारभूत पाठ्यचर्या निश्चित है।

बौद्धकाल में प्राथमिक शिक्षा— बौद्धकाल में बौद्ध भिक्षुओं ने अपने मठों एवं विहारों में प्राथमिक एवं उच्च, दोनों स्तरों की शिक्षा व्यवस्था शुरू की। यह शिक्षा बौद्ध संघों के नियंत्रण में थी, इसलिए दोनों स्तरों की शिक्षा के स्वरूप निश्चित हुए। बौद्धों ने अपने मठों एवं विहारों



में सभी जाति और सभी वर्गों के बच्चों को प्रवेश देना शुरू किया, परिणामस्वरूप सभी जाति और वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर सुलभ हुए, परंतु ये बौद्ध, मठ तथा विहार देश के सभी स्थानों पर स्थित नहीं थे, इसलिए इस काल में भी प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ नहीं बनाया जा सका।

मुस्लिम युग में प्राथमिक शिक्षा— मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी—प्राथमिक और उच्च। प्राथमिक स्तर पर सभी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाते थे। इस शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर पर लिपि ज्ञान, कुरान शरीफ का 30वाँ भाग, लिखना, पढ़ना, अंकगणित, पत्र लेखन, बातचीत और अजीनवीसी पढ़ाई सिखाई जाती थी। बच्चों को प्रारंभ से ही कुरान शरीफ की कुछ आयतें रटाई जाती थीं और इस्लाम पैगंबरों और मुसलमान फकीरों की जीवनीयें पढ़ाई जाती थीं। इनके अतिरिक्त अरबी—फारसी के कवियों की कविताएँ पढ़ाई जाती थीं। बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें शेरदादी की प्रसिद्ध पुस्तकें गुलिस्ता और बोस्तॉ पढ़ाई जाती थीं। इस काल में प्रारंभ से ही बच्चों के उच्चारण और लेख पर बहुत ध्यान दिया जाता था और उन्हें शुद्ध उच्चारण और सुलेख का अभ्यास कराया जाता था।

ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा— इस काल में सरकार द्वारा समय-समय पर शिक्षा में सुधार हेतु आयोग तथा समितियों का गठन किया गया। जिन्होंने तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा का गहनता से अध्ययन कर उसमें सुधार एवं प्रसार हेतु अनेक सुझाव तथा सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इसके विपरीत अनेक सुधारकों ने भी समय-समय पर अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता अनुभव करते हुए इसके प्रसार पर बल दिया। अतः इस काल में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समय-समय पर दिए गए सुझाव तथा सिफारिशों का विवरण इस प्रकार है—

भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन (1882-1883) व प्राथमिक शिक्षा— भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति मुख्य रूप से वुड डिस्पेच में घोषित शिक्षा नीति 1854 के क्रियान्वयन तथा परिणामों का अध्ययन करने और भारत में प्राथमिक शिक्षा की तत्कालीन स्थिति का अध्ययन करने और उसमें सुधार एवं विकास के उपाय खोजने के उद्देश्य हेतु की गई थी अतः इस आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार सबसे अधिक चिंता भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास की थी। संबंधित साहित्य का अध्ययन—संबंधित साहित्य से तात्पर्य उन सभी प्रकार की पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित तथा तथा अप्रकाशित शोध प्रबंधों एवं अभिलेखों आदि से है जिसके अध्ययन से अनुसंधान की समस्या का चयन, परिकल्पनाओं का निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। जब कोई शोधकर्ता अनुसंधान के लिए अग्रसर होता है तो उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न समस्या के चयन का आता है। उसके सम्मुख कई प्रश्न गूँजते हैं। वह किस समस्या पर कार्य करे? अभी तक इस समस्या पर कार्य हो चुके हैं या नहीं? यदि हुए हैं तो किन-किन उप क्षेत्रों में क्या विधि अपनाई गई है? उससे प्राप्त निष्कर्ष कहाँ तक उपयोगी है? उस समस्या पर अब कौन सा कार्य हो सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता को संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना आवश्यक होता है। सर्वेक्षण के पश्चात् ही शोधकर्ता यह निश्चित करने की स्थिति में रहता है कि प्रस्तुत शोध नवीन ज्ञान की खोज या पहले से ही अन्विष्ट ज्ञान की पुष्टि करता है, इसके पश्चात् ही शीघ्र परिकल्पनाओं एवं उद्देश्यों का निर्धारण संभव है।

जे०सी० अजवानी एवं जे० रंगता, (2007) द्वारा किशोरों में शाब्दिक धारणाशक्ति एवं सांस्थिति-नियंत्रण के निर्धारकों से संबंधित अध्ययन किया गया, अध्ययन के अंतर्गत प्रतिदर्श के रूप में 400 किशोर बालक एवं बालिकाओं का या.च्छिक चयन किया गया, प्राप्त परिणाम के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि शाब्दिक धारणाशक्ति पर सांस्थिति नियंत्रण के दोनों रू (आंतरिक सांस्थिति नियंत्रण एवं बाह्य सांस्थिति नियंत्रण) का प्रभाव पड़ता है जिसमें सांस्थिति नियंत्रण के निर्धारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्ययन परिणाम 01 विश्वास स्तर पर सार्थक पाया गया।

रंजन कुमार एवं रामध्यान राम (2010) द्वारा हरिजन छात्रों में आत्म संप्रत्यय एवं सांस्थिति नियंत्रण का अध्ययन उनके अधिवास एवं शैक्षिक स्तर के संदर्भ में किया गया। अध्ययन के अंतर्गत कुल 300 हरिजन छात्रों का चयन ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों से उच्च एवं निम्न आर्थिक व सामाजिक स्तर के आधार या.च्छिक रूप से किया गया। जिसमें 150 छात्र ग्रामीण परिवेश से तथा 150 छात्र नगरीय परिवेश से चयनित किए गए। अध्ययन से प्राप्त परिणाम से स्पष्ट हुआ कि हरिजन छात्रों के आत्म संप्रत्यय एवं सांस्थिति नियंत्रण पर अधिवास का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जो उनके शैक्षिक स्तर में हास उत्पन्न करता है। परिणाम में देखा गया कि ग्रामीण छात्रों की अपेक्षा नगरीय छात्रों का शैक्षिक स्तर उच्च पाया गया उनके आत्म संप्रत्यय का सकारात्मक विकास पाया गया और सांस्थिति नियंत्रण के दोनों प्रारूपों में समानता पाई गई जबकि ग्रामीण परिवेश के छात्रों में उक्त प्रक्रियाओं में हास का मूल कारण सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन व आत्म का अल्पविकास है। अस्तु अधिवास एवं शैक्षिक स्तर पर हरिजन छात्रों में सार्थक अंतर पाया गया।

विनीता चौधरी (2007) द्वारा एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रामीण एवं नगरीय बालक व बालिकाओं के व्यक्तित्व विशेषताओं के संदर्भ में किया गया। 150 नगरीय (75 बालक 75 बालिका) तथा 150 ग्रामीण (75 बालक 75 बालिका) बच्चों का या.च्छिक चयन अध्ययन हेतु किया गया। व्यक्तित्व विशेषताओं की परख के लिए आईजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। प्राप्त परिणाम से स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण बालकों की अपेक्षा नगरीय बालकों के व्यक्तित्व में बहिर्मुखी प्रवृत्ति अपेक्षात अधिक पाई जाती है। ग्रामीण बालिकाओं की अपेक्षा नगरीय बालिकाओं में मनस्तापी प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। जबकि ग्रामीण बालकों में मनस्तापी प्रवृत्ति अधिक होती है। व्यक्तित्व से संबंधित अन्य शैलियों में भी ग्रामीण एवं नगरीय बच्चों में सार्थक अंतर पाया गया।

आर०के० तिवारी एवं पी० पांडेय (2005) द्वारा एक अध्ययन सांस्कृतिक भिन्नता एवं यौन पर आक्रामकता प्रवृत्ति व हठधर्मिता के साथ संबंध के संदर्भ में 200 महिला एवं पुरुष स्नातक स्तरीय छात्रों पर किया गया। प्रतिदर्शित छात्रों का चयन जनपद फैजाबाद की ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों से किया गया। प्रसारण विश्लेषण विधि के द्वारा दोनों मापनियों (आक्रामकता एवं हठधर्मिता) पर प्राप्त परिणाम के आधार पर सार्थक अंतर पाया गया। दोनों संप्रत्ययों में भी घनिष्ठ संबंध की अभिव्यक्ति पाई गई। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि यौन एवं संस्कृति



के आधार पर आक्रामकता प्रभावी नहीं होती, जबकि हठधर्मिता की प्रवृत्ति नगरीय किशोरों की अपेक्षा ग्रामीण किशोरों में अधिक पाई जाती है।

समस्या कथन- शोधकर्ता द्वारा ली गई समस्या इस प्रकार थी-गाजियाबादजनपद के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में अपव्यय की समस्याओं का अध्ययन।

अध्ययन के उद्देश्य- शोधकर्ता ने अपने अध्ययन के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए-

- अभिभावकों की दृष्टि से विद्यालय छोड़ने के कारणों का अध्ययन करना।
- प्राथमिक स्तर के छात्र-छात्राओं के एक ही कक्षा में रुक जाने के सामान्य कारणों का अध्ययन करना।

न्यादर्श का चयन- प्रस्तुत शोध कार्य हेतु यादृच्छिक रूप से गाजियाबाद के शहरी एवं ग्रामीण कुल 32 विद्यालयों का चयन किया गया। जिनमें से 400 विद्यार्थियों की संख्या को न्यादर्श के रूप में अपव्यय, अवरोधन और इसके कारणों को शोध कार्य हेतु चयनित किया गया।

शैक्षिक अनुसंधान की प्रविधि- अनुसंधानकर्ता द्वारा शोध समस्या के समाधान हेतु सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया।

उपकरण- डॉ० वी०पी० विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अपव्यय व अवरोधन से संबंधित प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। सांख्यिकीय विश्लेषण-अमेठी जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के दत्तों का सारणीकरण करने के पश्चात विभिन्न कारणों से अपव्ययित एवं अवरोधित विद्यार्थियों को कुल नामांकित अपव्ययित व अवरोधित विद्यार्थियों की संख्या से भाग देकर 100 से गुणा करके अलग-अलग प्रतिशत मान प्राप्त करके ग्राफीय निरूपण किया गया।

निष्कर्ष- इस समस्या के अध्ययन के पश्चात जो निष्कर्ष सामने आए वे इस प्रकार हैं

- अपव्यय से संबंधित निष्कर्षों में पाया गया कि लड़कों व लड़कियों में अपव्यय समान रूप से था। लड़कों को व्यवसाय में हाथ बंटाने हेतु तथा लड़कियों को घरेलू काम-काज व छोटे भाई-बहनों की देखभाल हेतु उचित माना गया।
- अपने अध्ययन के दौरान अधिकतर छात्र-छात्राएँ का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण शारीरिक कमजोरी उचित चिकित्सा न मिलने के कारण विद्यालय जाने में असमर्थ हो जाते हैं और पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले ही शिक्षा से मुक्ति पा लेते हैं।
- कुछ छात्र-छात्राओं के घर में प्रेरक वातावरण का अभाव उनकी पढ़ाई में अरुचि का कारण बना।
- कुछ छात्रों को कठिन पाठ्यक्रम तथा समझने में कठिनाई होने के कारण तथा अध्यापकों का रुष्ट व्यवहार भी छात्रों में अपव्यय का कारण बना।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों में ही अपव्यय के संबंध में आर्थिक कारण बाधक थे। खराब आर्थिक स्थिति होने तथा विद्यालय संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाने के कारण भी बच्चों ने विद्यालय जाना छोड़ दिया।
- अनेक भौगोलिक परिस्थितियाँ भी अपव्यय का कारण बनती हैं, जैसे-विद्यालय का दूर होना, पुल आदि का अभाव आदि भौगोलिक कारणों से बालक विद्यालय छोड़ने को मजबूर हो जाता है।
- कुछ छात्रों के घर में कलह का वातावरण भी उनकी पढ़ाई में बाधक होने के रूप में प्राप्त किया गया।
- आगे पढ़ाने की इच्छा होने पर भी बीच में ही पढ़ाई छोड़वा दी।

सुझाव- शोध से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं-

- विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों से उनके विद्यालय छोड़ने का कारण जानकर उनकी समस्या का उचित समाधान निकालकर उन्हें पुनः विद्यालय में दाखिला करवाया जाए।
- विद्यालयों में समय-समय पर बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाए।
- शारीरिक अस्वस्थता विद्यार्थियों की शिक्षा में व्यवधान डालती है। प्राथमिक स्तर पर भी विद्यालय छोड़ने के कुछ शारीरिक कारण होते हैं। यदि माता-पिता द्वारा उचित रूप से बच्चों पर ध्यान दिया जाए तथा बीमार होने पर उपचार द्वारा रोगों का निदान कराया जाए तो अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या में कमी आएगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. रमन बिहारी लाल, (1973), शिक्षा सिद्धांत और प्रयोग, रस्तीगी पब्लिकेशन, मेरठ द्वारा प्रकाशित।
2. भारती रावत, (2008) देहरादून जिले में प्राथमिक स्तर पर अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या का अध्ययन। हेमवती बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर को प्रस्तुत अप्रकाशित लघु शोध प्रबंध।
3. अन्विति सिंह, (2011), भारतीय आधुनिक शिक्षा, जनवरी 2011.
4. सुधीर कुमार शर्मा, (2011), भारतीय आधुनिक शिक्षा, जनवरी, 2011.
5. जी०एस० वर्मा (2006), शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
6. के०एन० त्रिपाठी (2013), उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद।
